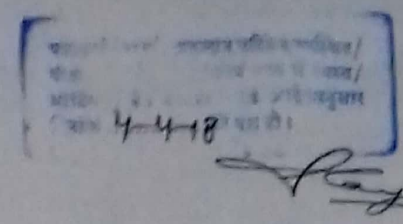

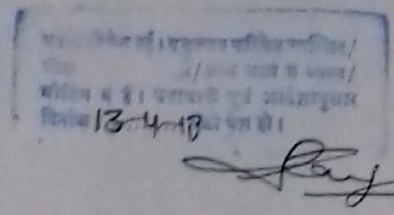

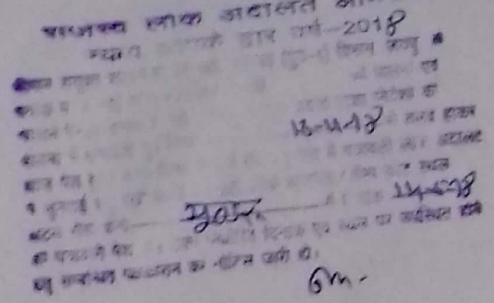

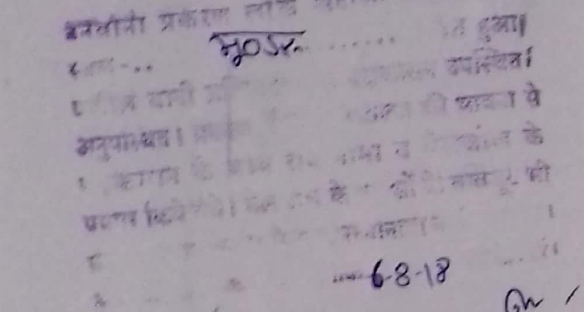

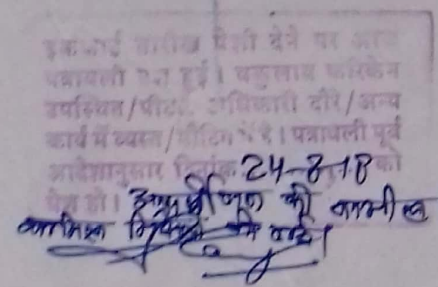

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
6-3-18	... दिनांक 4-4-18 को पेश हो।
4-4-18	... पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13-4-18 को पेश हो।
2-5-18	राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान ... वर्ष-2018 ... 15-4-18 ... 14-5-18 ...
14-5-18	... प्रकरण लोक अदालत ... मुल्तवी ... उपस्थित। ... 6-8-18
6-8-18	... पत्रावली पेश हुई। ... उपस्थित/पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/... पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24-8-18 को पेश हो।
24.08.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि अप्रार्थीगण की नोटिस तामील पूर्व में होकर आ चूकी है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का निस्तारण

Scanned by CamScanner

किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर तामीलात का अवलोकन किया गया। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी नं 4, 10, 13, 14, 17 व 22 की तामील अप्राप्तवत होकर लौटी है एवं शेष अप्रार्थीगण की तामील परिवार के निकटतम सदस्य द्वारा प्राप्त होकर आई है। जो पर्याप्त है। बावजूद तामीलात भी अप्रार्थीगण में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अवगत कराया कि प्रकरण पत्थरगढ़ी से सम्बन्धित है। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा भूमि खसरा नम्बर 3910, 3912 कुल किता 2 कुल रकबा 1.85 हैक्टर तप् ग्राम मूण्डरू का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 16.10.2015 के अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी सम्वत् 2070–73, नजरी नक्शा ट्रेस प्रति, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 16.10.2015 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूँ।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का मूण्डरू द्वारा दिनांक 16.10.2015 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस का नियमानुसार आंकलन करते हुए भू. अभिलेख निरीक्षक फीस 900/–रूपए व दो

Scanned by CamScanner

तारीख़ हुक्म	प्रभु व०गौ० बनाम कुली व०गौ० हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज विविध प्रार्थना पत्र प्र०स०-149/17
	पटवारियान् की फीस 600/– 600/– रूपए की दर से 1200/– रूपए व ग्राम प्रतिहारी फीस 300/–रूपये कुल राशि 2400/– अक्षरे दो हजार चार सौ रूपये राज्य कोष में जमा ली जाकर पटवारी हल्का मूण्डरू द्वारा दिनांक 16.10.2015 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक भौतिक मौका स्थिति में बिना कोई परिवर्तन किये पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इस हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)

Scanned by CamScanner